कार्यालय उपखण्ड अधिकारी, डूंगरपुर

मिसल नं० 750
अन्तर्गत धारा 111-128 आरटीए

निर्णय दिनांक- 03-07-18

:: निर्णय ::

प्रार्थी श्री हुकरा पिo वालेंग मीणा

जति मीणा उम्र व्यस्क निo कोलखंडा खास तहसील डूंगरपुर ने न्याय आपके द्वार अभियान 2018 लोक अदालत कोलखंडा खास दिनांक 03-07-18 को इस आशय का एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 एल०आर०एक्ट के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया की मौजा कोलखंडा खास पंचायत समिति दोवडा में स्थित खाता संख्या 439 पर आराजी नं० 1237 कुल — बीघा 4 बिस्वा किता 1 योग रकबा 4 बिस्वा पर प्रार्थी मालिक काबिज होकर कृषि काश्त करता आ रहा है और अप्रार्थीगण से आये दिन सीमा (डेंडे, पाली) की बात को लेकर विवाद होता है। करते है और लड़ाई झगड़ा करते है। इस वजह से प्रार्थी अपनी उक्त आराजी पर पत्थरगढी कराना चाहता है। जिस पर प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। उक्त प्रार्थना पत्र के साथ अप्रार्थी कालीलाल पिo लखमा मीणा निo कोलखंडा खास ने भी पत्थरगढी करने की सहमति दी है। प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के साथ ग्राम कोलखंडा खास के खसरा नं० 1240 रकबा — बीघा 4 बिस्वा कुल किता 1 योग रकबा 4 बिस्वा की जमाबंदी संवत् 2069-72 की प्रमाणित प्रति भी संलग्न की है।

पत्रावली का गहन अवलोकन किया गया। पत्रावली पर प्रार्थी द्वारा नक्शा ट्रेस एवं जमाबंदी प्रस्तुत की गई जिसके अनुसार प्रार्थी खातेदार काश्तकार है और विपक्षीगणों द्वारा किसी प्रकार का कोई विरोध नही किया गया एवं सहमति प्रदान की गई है। इस प्रकार मौजा कोलखंडा खास में स्थित खाता संख्या 439 पर आराजी नं० 1237 रकबा 4 बिस्वा कुल किता 1 कुल रकबा 4 बिस्वा की पत्थर गढी कराने का हकदार है।

लिहाजा मौजा कोलखंडा खास में स्थित खाता संख्या 439 पर आराजी नं० 1237 रकबा 4 बिस्वा कुल किता 1 कुल रकबा 4 बिस्वा विवादग्रस्त आराजी की पत्थरगढी किये जाने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार, डूंगरपुर भू०अ० निरीक्षक पुनाली के नेतृत्व में टीम गठीत कर बिना किसी अन्य खातेदार के खाते को डिस्टर्ब किये पत्थर गढी की जावे। तहसीलदार, डूंगरपुर को तहरीर जारी हो पत्थरगढी शुल्क रू0 300/- प्रार्थी स्वंय राजकोष में जमा करावे तभी पत्थरगढी की जावे। पत्रावली फैसल में शुमार होकर नम्बर से कम हो।

उपखण्ड अधिकारी

डूंगरपुर